न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 169/2022 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सांवताराम पुत्र मोडाराम 2. दानाराम पुत्र मोडाराम 3. पुरखाराम पुत्र मोडाराम 4. बाबूलाल पुत्र मोडाराम जाति कुम्हार, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री देवीलाल कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 31.07.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 844/60 रकबा 12.1406 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि प्रार्थीगण के पिता मोडाराम को आवंटन हुई थी। वर्तमान में प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि में रहवासी ढाणी, टांके व पशुबाड़े बनाकर काबिज है। उक्त आवंटित भूमि की लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम एवं मौके पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के कब्जा के अनुसार तरमीम नहीं करते हुए कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम कर दी गई है। विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा व जमाबंदी में अंकित रकबा में भी भारी भिन्नता है। उक्त गलत तरमीम से मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जाकाश्त एवं राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी तहसीलदार शिव द्वारा आवेदन का जवाब पेश करते हुए उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् अनुशंषा की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मूल खसरा नम्बर 60 में से प्रार्थीगण के पिता को भूमि आवंटन हुई है। उक्त मूल खसरा नम्बर में अन्य आवंटित भूमि खसरा नम्बर 845/60 व 846/60 की तरमीम पूर्ण है तथा ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 847/60 की तरमीम भी पूर्ण है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 844/60 रकबा 12.1406 हैक्टेयर की तरमीम वर्तमान मौके पर लगभग 9.7124 हैक्टेयर हो रखी है, जो कि आवंटित रकबा से कम होने पर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव द्वारा भी जवाब पेश कर मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान करते हुए अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त एवं राजस्व जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा खातेदारान् द्वारा भी मौके पर उपस्थित होकर संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की जाकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये गये है। तहसीलदार शिव द्वारा भी जवाब पेश कर मौके पर कब्जा काश्त एवं पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गूंगा, पटवार मण्डल गूंगा तहसील शिव के खसरा नम्बर 844/60 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार एवं जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner